राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।

देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- अन्त्योदय अन्य योजना २० कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना 03 किं0ग्रा0 गेहूँ तथा 02 किं0ग्रा0 चावल कुल ०५ कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- उपरोक्त दोनो योजनाओं पर गेहूँ रु0-02 प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल रु0-03 कि0ग्रा0 की दर से देय।

खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- कार्ड धारक विभागीय टोल फी नम्बर 1800-1800-150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।







खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन

जनपद : लखनक

राशन कार्ड क्रमांक

: 115741070623

टाउन

: LUCKNOW(M Corp.)

मुखिया का नाम

ः मैना शर्मा

पिता / पति का नाम : राम चंद्रा शर्मा

श्रेणी/जाति

निवास का पता

00, 591/752 BALDEV VIHAR IN BACK PEEPAL TREE

TELIBAGH Lucknow(M Corp.) - 226025

आधार /इनरोलमेंट न ं : XXXX XXXX

गैस ग्राहक कनेक्शन सं०:

गैस एजेंसी का नाम

उचित दर दुकान

Ruma

यूनिटों का विवरण : 6 (Six)

दिनांक: 30-05-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -२० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड

Print at :

IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP.

क्रम सं.	7111	र्मित्रागानि का जाग विश्वी में	गविगा में गाउँ
क्रम स.	नाम	पिता/पति का नाम (हिंदी में)	मुखिया से सम्बन्ध
1	मैना शर्मा	राम लिटन शर्मा	स्वयं
2	राम चंद्रा शर्मा	दुर्योधन शर्मा	सौहर / पित
3	विवेक शर्मा	राम चंद्रा शर्मा	वेटा
4	नेहा शर्मा	राम चंद्रा शर्मा	वेटी
5	नीतू शर्मा	राम चंद्रा शर्मा	वेटी
6	विशाल शर्मा	राम चंद्रा शर्मा	वेटा